HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3646/2026

1. Krishna Kumar S/o Khartaram, Aged About 24 Years, R/o Potaliya Ki Dhani, Hodu, Police Station Sindhari, District Balotra, Rajasthan (Lodged In Dist. Jail Churu)
2. Amararam S/o Kishnaram, Aged About 26 Years, R/o Rawali Nadi, Tehsil Guds Malani, Police Station Nagar, District Barmer, Rajasthan (Lodged In Dist. Jail Churu)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Mahi Pal Singh
For Respondent(s) : Mr. Narendra Gehlot, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

27/03/2026

01. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना भानीपुरा जिला चूरू में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 23/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 19/54, 54–क राजस्थान आबकारी अधिनियम के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। यह मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व

परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण **कृष्ण कुमार पुत्र खरताराम व अमराराम पुत्र किशनाराम,** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में प्रत्येक प्रार्थी–अभियुक्त एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

162-mayank/-